PROCEDURE FOLLOWED IN DECISION MAKING PROCESS INCLUDING CHANNEL OF SUPERVISION

The loco running activities are supervised by Crew Controller, Chief Crew Controller, Chief Loco Inspectors, Minor decisions regarding crew management and day-to-day loco running activities are taken by them. The extraordinary cases where decisions at these levels are not possible, the issue is referred to the higher authorities i.e. Asstt. Divisional Mechanical Engineer (Power) or Sr. Divisional Mechanical Engineer (EnHM,DEMU & Power). Major decisions like policy decision, staff welfare, creation of posts, additional assets, creation of facilities etc. are taken by the branch officer i.e Sr. Divisional Mechanical Engineer (EnHM,DEMU & Power). The decision which is beyond the competency of the Sr. Divisional Mechanical Engineer (Power) is referred to Addl. Divl. Railway Manager or Divl. Railway Manager or the case is sent to zonal HQ for further disposal at higher level.

पर्यवेक्षण माध्यम को शामिल करते हुए निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

सामान्यतः लोको प्रचालन गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर्मीदल नियंत्रक मुख्य कर्मीदल नियंत्रक मुख्य लोको निरीक्षक द्वारा किया जाता हैं। कर्मीदल प्रबंधन और दैनिक लोको परिचालन गतिविधियों के छुटपूट निर्णय इनके द्वारा लिये जाते है। इस स्तर पर असाधारण मामलों पर निर्णय संभव नही होता है। अतः ऐसे मामलों को उच्च प्राधिकारियों अर्थात सहायक मंडल याँत्रिक इंजीनिय (शक्ति) या वरिष्ठ मंडल याँत्रिक इंजीनियर (ईएनएचएम,डेमू एवं शक्ति) के पास भेजा जाता है। बड़े मामले जैसे नीतिगत निर्णय जो वरिष्ठ मंडल याँत्रिक इंजीनियर (शक्ति) की सक्षमता से बाहर हो उन्हें अपर मंडल रेल प्रबंधक अथवा क्षेत्रीय मुख्यालय को उच्च स्तर पर अंतिम निपटान हेतु भेजा जाता है।